प्रेस विज्ञप्ति

जनपद बस्ती

दिनांक-29.03.2025

थाना पुरानी बस्ती पुलिस, थाना रुधौली पुलिस, एस0ओ0जी0 टीम व स्वाट टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में लूट की झूठी सूचना देने वाले 02 अभियुक्तों को घटना में संलिप्त 03 अन्य सहित कुल 05 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

थाना पुरानी बस्ती पुलिस, थाना रुधौली पुलिस, एस0ओ0जी0 टीम व स्वाट टीम बस्ती की संयुक्त कार्यवाही में दिनांक-28.03.2025 को चौकी हड़िया क्षेत्रान्तर्गत बाबा ढाबा के बगल में स्थित गल्ले/ अनाज की दुकान से मोटरसाइकिल सवार 02 व्यक्तियों द्वारा रुपये 3,00,000/- नगद लूट के संबंध में झूठी सूचना देने पर थाना पुरानी बस्ती पर मु0अ0सं0-67/2025 धारा-238 BNS पंजीकृत कर **लूट की झूठी सूचना देने वाले 02 अभियुक्तों यथा क्रमश 1-** अनमोल चौधरी पुत्र राजकुमार चौधरी **2-** पंकज शुक्ला पुत्र विमल शुक्ला को गिरफ्तार कर जांच/ पूछताछ के दौरान **अभियुक्त 3-** नरेन्द्र चौधरी पुत्र राजेंद्र प्रसाद द्वारा अपने लाइसेंसी शस्त्र को बिना अनुज्ञप्ति के परिवहन किए जाने के क्रम में धारा-5/27/30 आर्म्स एक्ट एवं मौके पर अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस बरामद होने के क्रम में धारा-3/25/30 आर्म्स एक्ट बनाम अज्ञात पंजीकृत कर जांच/विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित है | जांच के दौरान दोनों पक्षों द्वारा एक-दुसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने एवं संज्ञेय अपराध कारित करने की प्रबल संभावना के दृष्टिगत **4-** रितिक चौधरी पुत्र राजकुमार चौधरी **5-** वसिम पुत्र करीम सहित सभी संबंधित 05 अभियुक्तों को धारा-170/126/135 BNSS के तहत पुलिस हिरासत में लेकर **मौके से A-** एक अदद कट्टा मय एक अदद ज़िंदा कारतूस **B-** एक अदद लाइसेंसी पिस्टल मय 02 अदद मैगजीन व 13 अदद कारतूस (अभियुक्त 3-नरेन्द्र चौधरी के कब्जे से) **C-** एक अदद मोबाइल, एक अदद हेल्मेट, एक अदद मोटर साइकिल पल्सर गाड़ी संख्या- UP51-BH9273 (घटना स्थल से प्राप्त) बरामद कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है|

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1- अनमोल चौधरी पुत्र राजकुमार चौधरी उम्र करीब 20 वर्ष निवासी संजय कॉलोनी थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती, स्थाई पता- हासूपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर (उ0प्र0) |

2- पंकज शुक्ला पुत्र विमल शुक्ला उम्र करीब 44 वर्ष निवासी बडेरिया थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती |

3- नरेन्द्र चौधरी पुत्र राजेंद्र प्रसाद उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम डुमरी पोस्ट आमवारी थाना रुधौली जनपद बस्ती |

4- रितिक चौधरी पुत्र राजकुमार चौधरी उम्र करीब 21 वर्ष निवासी संजय कॉलोनी थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती, स्थाई पता- हासूपुर थाना राजघाट जनपद गोरखपुर (उ0प्र0) |

5- वसिम पुत्र करीम उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम गाजीपुर थाना रुधौली जनपद बस्ती |

बरामदगी का विवरण-

1- एक अदद कट्टा मय एक अदद ज़िंदा कारतूस |

2- एक अदद लाइसेंसी पिस्टल मय 02 अदद मैगजीन व 13 अदद कारतूस |

3- एक अदद मोबाइल, एक अदद हेल्मेट, एक अदद मोटर साइकिल पल्सर गाड़ी संख्या-UP51-BH9273 (घटना स्थल से प्राप्त) |

4- अभियुक्त रितिक चौधरी के कब्जे से एक अदद मोबाइल वीवो, एक अदद आधार कार्ड व रुपये 600/- नगद |

5- अभियुक्त अनमोल के कब्जे से एक अदद मोबाइल रुपये 300/- नगद |

6- अभियुक्त वसीम के कब्जे से एक अदद मोबाइल, आधार कार्ड व रुपये 100/- नगद |

7- अभियुक्त पंकज शुक्ला के कब्जे से रुपये 1,000/- नगद |

8- अभियुक्त नरेन्द्र कुमार का आधार कार्ड।

घटना/पूछताछ का सक्षिप्त विवरण-

दिनांक-28.03.2025 को जरिए डायल-112 के माध्यम से थाना पुरानी बस्ती पर सूचना प्राप्त हुआ कि थाना क्षेत्रान्तर्गत बाबा ढाबा के बगल में स्थित गल्ले की दुकान से रु0 3,00,000/- की लूट हुई है, जिस पर थाना पुरानी बस्ती पुलिस टीम द्वारा मौके पर पहुचंकर काउंटर पर बैठे व्यक्ति **1-**अनमोल चौधरी से पूछा तो बताया कि दिनांक 27.03.2025 को मोटरसाइकिल सवार दो अज्ञात व्यक्ति दुकान पर आकर अनाज के खरीद-बिक्री हेतु रेट पूछ रहे थे जो संदिग्ध लग रहे थे, जिसके बारे में दुकान के मालिक **2-**पंकज शुक्ल को व विवेक शुक्ल व अपने भाई **5-**रितिक चौधरी को बताया था। दिनांक-28.03.2025 को पुनः वही दोनों व्यक्ति समय 11:00 बजे आकर रेट पूछने लगे, जिस पर मेरे द्वारा बताया गया कि मालिक कुछ देर बाद आकर रेट बताएंगे | मैंने दुकान मालिक **2-**पंकज शुक्ल को तुरन्त फोन कर बताया की जो 02 व्यक्ति कल दिनांक 27.03.2025 को आये थे, वो पुनः आए है, जिसके उपरांत **2-**पकंज शुक्ल द्वारा अपने सहयोगी लोगों को सूचना दी गयी जिस पर उक्त दोनों व्यक्तियों से मेरे भाई **5-**रितिक चौधरी (जो दुकान पर काम करता है), विवेक शुक्ल, उमेश यादव, मनीष पटवा द्वारा आकर उनका आई0डी0 कार्ड मांगे, जिसको लेकर दोनों-पक्षों मे मारपीट, धक्का-मुक्की हो रही थी कि उसी दौरान एक अवैध तमंचा फर्श पर गिरा एवं मार-पीट करने के उपरांत दोनों व्यक्ति भाग गए जिनका मोबाइल फोन व हेलमेट वहीं छूट गया था, जिसके संबंध में मेरे द्वारा दुकान मालिक **2-**पंकज शुक्ला को बताने पर उनके द्वारा मुझे डायल-112 पर मार-पीट व 03 लाख रुपये की लूट की झूठी सूचना अपने मोबाइल से देने हेतु बताया गया, जिस पर लूट की झूठी सूचना मेरे द्वारा दे दी गयी थी, जिसके संबंध में थाना पुरानी बस्ती पर मु0अ0सं0 67/2025 धारा 238 BNS पंजीकृत कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही के क्रम में सभी संबंधित 05 अभियुक्तों को 170/126/135 के तहत पुलिस हिरासत में लेकर **मौके से A-** एक अदद कट्टा मय एक अदद ज़िंदा कारतूस **B-** एक अदद लाइसेंसी पिस्टल मय 02 अदद मैगजीन व 13 अदद कारतूस (अभियुक्त 3-नरेन्द्र चौधरी के कब्जे से) **C-** एक अदद मोबाइल, एक अदद हेल्मेट, एक अदद मोटर साइकिल पल्सर गाड़ी संख्या- UP51-BH9273 (घटना स्थल से प्राप्त) बरामद कर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है |

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- थानाध्यक्ष पुरानी बस्ती महेश सिंह जनपद बस्ती |

2- प्रभारी निरीक्षक रुधौली विजय दुबे मय टीम जनपद बस्ती |

3- एस0ओ0जी0 टीम उ0नि0 चंद्रकांत पाण्डेय मय टीम जनपद बस्ती |

4- प्रभारी स्वाट टीम उ0नि0 संतोष कुमार मय टीम जनपद बस्ती |

5- प्रभारी सर्विलांस सेल उ0नि0 शशिकांत मय टीम जनपद बस्ती |

6- उ0नि0 आशुतोष कुमार थाना पुरानी बस्ती |

7- हे0का0 राकेश यादव, का0 रामभगत यादव, का0 कृष्ण मोहन थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती |